

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

आबकारी नीति के तहत ऑनलाइन भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक E-Pay
पेमेंट गेटवे आबकारी विभाग के पोर्टल से होगा इंटीग्रेट

प्रदेश सरकार और बैंक के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित

लखनऊ : 10 अक्टूबर, 2026

आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्राविधानों के क्रियान्वयन के क्रम में बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक E-Pay पेमेंट गेटवे को आबकारी विभाग के पोर्टल से इंटीग्रेट किये जाने संबंधी राज्य सरकार एवं बैंक के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध-विलेख का औपचारिक रूप से 09 अक्टूबर, 2026 को आदान-प्रदान किया गया। उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन के पश्चात आबकारी विभाग के फुटकर अनुज्ञापी भारतीय स्टेट बैंक के E-Pay पेमेंट गेटवे का चयन कर अपने इण्डेंट के सापेक्ष थोक अनुज्ञापन को अग्रिम भुगतान पूल एकाउंट में कर सकेंगे। पूल एकाउंट में जमा धनराशि थोक अनुज्ञापनों को इण्डेंट के सापेक्ष निकासी हो जाने के पश्चात स्थानांतरित की जायेगी।

इस अवसर पर आबकारी विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव श्रीमती वीना कुमारी, आबकारी आयुक्त श्री आदर्श सिंह, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) श्री नवनीत सेहारा तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से लखनऊ सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर श्री दीपेश राज, जनरल मैनेजर NW-1 श्री विमल किशोर, तथा डिप्टी जनरल मैनेजर टीबीयू श्री मुकेश कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पर्क सूत्र- सी.एल. सिंह

अवनीश श्रीवास्तव / 03:54 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssoochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in